फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती मन्जु कुंवर | **विपक्षी : श्री नारायणसिंह**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 63/23**

जीसीएमएस : 2023/278

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 24.02.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में काउन्टर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा रठाना पटवार हल्का रठाना तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 60 पर दर्ज आराजी नम्बर 1030 रकबा 3.5612 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी संख्या 1 के सास/ससुर व प्रार्थी संख्या 2 के दादा/दादी व विपक्षी संख्या 1 से 4 के पिता/माता खुमाण सिंह व मोहनबाई के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। खातेदार खुमाण सिंह व मोहन बाई का स्वर्गवास हो चुका हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण द्वारा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया हैं। उसी के साथ यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रार्थीगण द्वारा अपनी पैतृक सम्पति में हिस्सेनुसार घोषणा चाही गई हैं। प्रार्थीगण द्वारा बताये गये सजरे अनुसार मूल पुरूष (खातेदार) खुमाणसिंह पिता सुल्तानसिंह व खातेदार मोहन बाई पत्नी खुमाणसिंह फौत हो चुके है एवं इनके वारिस रामसिंह (प्रार्थीगण के पति/पिता), नारायणसिंह, देवीसिंह, कानसिंह, रोशनकुंवर (विपक्षी संख्या 1 से 4) हुए। रामसिंह फौत हो चुका है जिसके वारिस प्रार्थीगण हैं। पत्रावली के अवलोकन से उभय पक्षकारान खातेदार खुमाणसिंह एवं मोहन बाई के वारिस होना प्रतीत होता हैं। अतः उभय [illegible] वारिस होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का हित एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू उभय पक्षकारान के पक्ष में साबित होते है। प्रकरण में दि	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:37:39 IST
Reason: SelfAttested

04.08.2023 से उभय पक्षकारान के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं जिसे मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। शेष अन्य बिन्दू मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जावेगे। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र एवं विपक्षीगण का काउन्टर प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एवं विपक्षी संख्या 1 से 4 का काउन्टर प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है कि उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण तक मौजा रठाना पटवार हल्का रठाना तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 के खाता संख्या 60 पर दर्ज आराजी नम्बर 1030 रकबा 3.5612 हेक्टेयर भूमि के मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:37:39 IST
Reason: SelfAttested